बिहार सरकार

समाहरणालय, अरवल

ई-मेल–dm-arwal.bih@nic.in वेबसाइट - arwal.bih.nic.in दूरभाष /फैक्स - 06337-228988

पत्रांक- दिनांक -

आदेश

कोविड–19 के मद्देनजर राज्य के बाहर से आने वाले अप्रवासी मजदूरों के लिए प्रखंड/पंचायत/ग्राम स्तर पर कोरोन्टाईन कैम्प की स्थापना की गयी है। अधिकतर कोरोन्टाईन कैम्प प्राथमिक/मध्य/उच्च विद्यालय एवं +2 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संचालित है। पूर्व में इस कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को कैम्प प्रभारी पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 216/नि0मा0 दिनांक 18.05.2020 के आलोक में निम्न आदेश निर्गत किये जाते हैं :–

1. क्वारंटीन कैम्प बनाये गये विद्यालय के सभी शिक्षक/शिक्षिकाएँ अपने विद्यालय में उपस्थित रहेंगें तथा उसके संचालन एवं व्यवस्था में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगें।
2. विकलांग/ऐसी शिक्षिकाएँ जिन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू नहीं रहने के कारण पदस्थापित विद्यालय में आने–जाने में कठिनाई होती है। वे अपने घर के आस–पास के सरकारी विद्यालय में इस कार्य में योगदान देंगी तथा इसकी सूचना अपने विद्यालय प्रधान/नियंत्री पदाधिकारी को देंगी।
3. प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में मध्याहन भोजन योजना के अंतर्गत कार्यरत **रसोईया** को भी इस कार्य में लगाया जाता है। उनके द्वारा क्वारंटीन कैम्प में भोजन निर्माण एवं वितरण का कार्य किया जायेगा।
4. **जिला शिक्षा पदाधिकारी, अरवल प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी** के माध्यम से टोले में कार्यरत शिक्षा सेवक एवं शिक्षा सेवक तालिमी मरकज को भी आवश्कतानुसार उनके पंचायत/ग्राम के क्वारंटीन कैम्प में एवं कोविड–19 से जुड़े अन्य कार्य में लगायेंगें।
5. वैश्विक महामारी कोविड–19 से मानवता की रक्षा करना एवं प्रभावित लोगों को मदद करना हम सबों का दायित्व है। अतएव शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारी/कर्मचारी, शिक्षक, रसोईया, शिक्षा सेवी निष्ठा के साथ इस कार्य को करें तथा प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर अपना पूर्ण योगदान करना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि इसमें अनावश्यक रूप से कोताही, शिथिलता, लापरवाही बरती जाती है तो ऐसे लोगों को चिन्हत कर उनके विरूद्ध **आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं द एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897** के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

ह0/-
जिला पदाधिकारी,
अरवल।

ज्ञापांक : 692/गो0 अरवल दिनांक 19/05/2020

प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता एवं उप विकास आयुक्त, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष, अरवल एवं जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अरवल जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
अरवल।

D:\Office\2020\Order\Mav\004.doc